FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

राजेश देवी बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मु0नं0 224 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/435

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया अधिवक्ता श्री धर्मवीर यादव उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
03/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 07.11.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थीया अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 07.11.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीया की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीया सीमाज्ञान दिनांकित 07.11.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :- **आदेश** तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम बासड़ी खुर्द पटवार हल्का बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 776/197 रकबा 0.3766 है0 में प्रार्थीया तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 07.11.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.06.19 10:45:51 IST

Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.06.19 10:45:51 IST Reason: SelfAttested